कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश

कमांक 28 / सां0लि0–36 / 2005 हरदा, दिनांक 24 / 05 / 2023

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार श्रीमती कीर्ति दुबे, तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, हरदा का स्थानांतरण जिला रीवा होने एवं उक्त न्यायालय में किसी अन्य सिविल जज की पदस्थापना न होने से तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा की पदोन्नति द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा के पद पर होने तथा उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने तथा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा के पद पर किसी अन्य सिविल जज की पदस्थापना न होने के कारण चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा का पद रिक्त हो जाने के फलस्वरूप सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा–6, धारा–15 की उपधारा (1) एव धारा–21 (4) के अंतर्गत कार्यविभाजन आदेश कमांक 229 दिनांक 01.09.2022 तथा संशोधित कार्य विभाजन आदेश कमांक 61 दिनांक 05.09.2022 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. कार्यविभाजन आदेश कमांक 229 दिनांक 01.09.2022 के सरल कमांक–6 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वरिष्ठ खण्ड, हरदा के न्यायालय से तहसील सिराली विलोपित की जाती है।

2. कार्यविभाजन आदेश कमांक 229 दिनांक 01.09.2022 के सरल कमांक–10 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, कनिष्ठ खण्ड, हरदा के समक्ष 'रिक्त न्यायालय' अंकित किया जाता है।

3. कार्यविभाजन आदेश कमांक 229 दिनांक 01.09.2022 के सरल कमांक–11 में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, कनिष्ठ खंड, हरदा के समक्ष निम्नानुसार कंडिका–6 जोड़ी जाती है :–

कंडिका–6 : पूर्व में कार्यरत् प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, हरदा, तथा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, हरदा एवं समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण, समस्त आनुषांगिक कार्यवाहियां तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।

4. कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 229 दिनांक 01.09.2022 के सरल क्रमांक–13 के समक्ष "रिक्त न्यायालय" अंकित किया जाता है।

5. कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 229 दिनांक 01.09.2022 में सरल क्रमांक–14 स्थापित कर कॉलम क्रमांक 2 में "द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड), हरदा" अंकित किया जाता है ।

6. सरल क्रमांक–14 के कॉलम क्रमांक 3 में "तहसील सिराली" अंकित किया जाता है।

7. सरल क्रमांक–14 के कॉलम क्रमांक 4 एवं कॉलम क्रमांक–5 में निम्नानुसार कंडिकाएं स्थापित की जाती हैं :–

कंडिका–1 :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।

कंडिका–2 :– रू0 0=00 (शून्य) से 1,00,00,000=00 (एक करोड़) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।

कंडिका–3 :– रू0 शून्य से रू0 500=00 रूपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।

कंडिका–4 :– पूर्व में कार्यरत् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 (वरिष्ठ खंड), हरदा के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीशों द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।

8. संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 61 दिनांक 05.09.2022 का सरल क्रमांक 3 विलोपित किया जाता है।

9. कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 229 दिनांक 01.09.2022 की अनुसूची–"ब" में वर्णित न्यायाधीशगण की अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में निम्नानुसार संशोधित कार्य व्यवस्था रहेगी :–

स0 क0	न्यायालय	कालॅम कमांक 2 के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश	कालॅम कमांक 2 एवं 3 के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश	कालॅम क0 2, 3 एवं 4 के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) के अति0 न्या0 टिमरनी	उपस्थित वरिष्ठतम व्य0 न्यायाधीश हरदा
2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) के अति0 न्या0 टिमरनी	उपस्थित वरिष्ठतम व्य0 न्यायाधीश हरदा

स0 क0	न्यायालय	कालॅम कमांक 2 के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश	कालॅम कमांक 2 एवं 3 के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश	कालॅम क0 2, 3 एवं 4 के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले न्यायाधीश
3	व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) खिरकिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	प्रथम व्यवहार न्या0 (वरिष्ठ खंड) हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्य0 न्यायाधीश हरदा
4	प्रथम व्य0 न्या0 (वरिष्ठ खंड) के अति0 न्याया0 टिमरनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	प्रथम व्यवहार न्या0 (वरिष्ठ खंड) हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्य0 न्यायाधीश हरदा
5	द्वितीय व्यवहार न्या0ा (कनिष्ठ खंड) हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्य0 न्यायाधीश हरदा
6	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) हरदा	द्वितीय व्यवहार न्या0ा (कनिष्ठ खंड) हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्यव0 न्यायाधीश हरदा
7	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) टिमरनी	प्रथम व्यवहार न्या0 (वरिष्ठ खंड) के अति0 न्या0 टिमरनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम व्य0 न्यायाधीश हरदा

24/05/2023

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृष्ठांकन कमांक 677 / सां0लि0 / 36 हरदा, दिनांक 24 / 05 / 2023

प्रतिलिपि :—

1. समस्त न्यायिक अधिकारी, हरदा / टिमरनी / खिरकिया
2. अध्यक्ष / सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा / टिमरनी / खिरकिया
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित
5. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संशोधित कार्य—विभाजन को आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें।

24.5.23

कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा